

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 1982/चैत्र 22, 1904
NO. 142] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 1982/CHAITRA 22, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1982

का. आ. 268(अ):—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 29A द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बसरा संशोधन) विनियम, 1982

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 6च के उपनियम (b) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा और 21 नवम्बर, 1981 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“(6) उपनियम(1) से उप-नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी. उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी वृत्ति को धलाने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह 1 सितम्बर, 1982 से पहले प्रारंभ होने वाले किसी पूरे वर्ष के सम्बन्ध में उपनियम (2) या उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट लेखा पुस्तको और अन्य दस्तावेजों रखे या बनाए रखे।”

[सं. 4563/एफ. सं. 142(8)/टी पी एल]

ई. के. कोशी, सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 12th April, 1982

S.O. 268(E). In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. These rules may be called the Income-tax (Second Amendment) Rules, 1982.

2. In rule 6F of the Income-tax Rules, 1962, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 21st day of November, 1981, namely :—

“(6) Notwithstanding anything contained in sub rules (1) to (3), it shall not be necessary for any person carrying on any of the professions specified in sub-rule (1) to keep and maintain the books of account and other documents specified in sub rule (2) or sub-rule (3) in relation to any previous year commencing before the 1st day of September, 1982.”

[No. 4563/F. No. 142(8)/82-TPL]

E. K. KOSHI, Secy.